सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

फा सं. डी-19016/2/2016-सा.-IV

निविदा सं. सं. लो. से. आ. /14/2016-सा.IV

निविदा सूचना

विषय: सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा में प्रविष्टि के लिए निविदा ।

सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा में प्रविष्टि हेतु एकल बोली प्रणाली के तहत ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स का विवरण निम्नानुसार है :

डिजिटल प्रिंटर्स की बनावट / मॉडल	अधिष्ठापित मशीनों की सं	अधिष्ठापान का वर्ष	अवधि के लिए वा. अनु. सं.
गेस्टेटनर - 5305	02	अप्रैल, 1993	प्रत्येक मशीन की वा.अनु. सं., संविदा में प्रविष्टि की तारीख से या आदेश में यथानिर्दिष्ट तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी ।
रिसो आरजेड़ 2000 ए जी	01	फरवरी, 2006	
रिसो ई जेड़ 221 ए	01	मई, 2014	

आयोग में प्रतिवर्ष उपर्युक्त डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स का प्रयोग की लगभग 19.5 लाख प्रतियां मुद्रित की जाती है । वार्षिक अनुरक्षण संविदा (वा.अनु.सं.) एक वर्ष के लिए वैध रहेगी तथा संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट पर इसे आगे पारस्परिक सहमति के निबंधन एवं शर्तों पर बढाया जा सकता है । फर्म/ वेंडर / संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोलियों का मूल्यांकन प्रत्येक डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए अलग - अलग किया जाएगा । निविदा की सममिलित लागत लगभग 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार रूपए मात्र) है । नि.आ.सू. में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर निविदाकर्ता / वेंडर / फर्म को भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा ।

निविदा दस्तावेज़ सं. लो. से. आ. के वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ हेतु) और सीपीपीपी साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउन लोड की जा सकती है जिनकी समय सीमा क्रिटिकल डेट शीट में दी गई है जो निम्नानुसार है :-

<u>क्रिटिकल डेट शीट</u>

<u>प्रकाशित किए जाने की तारीख</u>	18.01.2017
<u>बोली दस्तावेज को डाउन लोड करने / बिक्री शुरू करने की तारीख</u>	18.01.2017
<u>स्पष्टीकरण के शुरू होने की तारीख</u>	18.01.2017
<u>स्पष्टीकरण की समाप्ति की तारीख</u>	09.02.2017
<u>बोली पूर्व बैठक</u>	लागू नहीं
<u>बोली के प्रस्तुतीकरण के शुरू होने की तारीख</u>	18.01.2017 at 15:30Hrs
<u>बोली के प्रस्तुतीकरण की समाप्ति की तारीख</u>	09.02.2017 at 15:30Hrs
<u>बोली को खोलने की तारीख</u>	10.02.2017 at 15:30Hrs

(सी. एम. कैथ)
अवर सचिव (सामान्य-IV)
संघ लोक सेवा आयोग
(011-23388418)

सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

फा सं. डी-19016/2/2016-सा.-IV   निविदा सं. सं. लो. से. आ. /14/2016-सा.IV

निविदा आमंत्रण सूचना

(केवल ई-निविदा तरीकों से)

विषय: सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा में प्रविष्टि के लिए निविदा ।

सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा में प्रविष्टि हेतु एकल बोली प्रणाली के तहत ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स का विवरण निम्नानुसार है :

डिजिटल प्रिंटर्स की बनावट / मॉडल	अधिष्ठापित मशीनों की सं	अधिष्ठापान का वर्ष	अवधि के लिए वा. अनु. सं.
गेस्टेटनर - 5305	02	अप्रैल, 1993	प्रत्येक मशीन की वा.अनु. सं., संविदा में प्रविष्टि की तारीख से या आदेश में यथानिर्दिष्ट तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी ।
रिसो आरजेड़ 2000 ए जी	01	फरवरी, 2006	
रिसो ई जेड़ 221 ए	01	मई, 2014	

आयोग में प्रतिवर्ष उपर्युक्त डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स का प्रयोग की लगभग 19.5 लाख प्रतियां मुद्रित की जाती है । वार्षिक अनुरक्षण संविदा (वा.अनु.सं.) एक वर्ष के लिए वैध रहेगी तथा संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट पर इसे आगे पारस्परिक सहमति के निबंधन एवं शर्तों पर बढाया जा सकता है । फर्म/ वेंडर / संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोलियों का मूल्यांकन प्रत्येक डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए अलग - अलग किया जाएगा । निविदा की सममिलित लागत लगभग 3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार रूपए मात्र) है । नि.आ.सू. में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर निविदाकर्ता / वेंडर / फर्म को भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा ।

निविदा दस्तावेज़ सं. लो. से. आ. के वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ हेतु) और सीपीपीपी साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app से डाउन लोड की जा सकती है जिनकी समय सीमा, निविदा सूचना में दी गई क्रिटिकल डेट शीट में दी गई है|

निविदा की सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. बोलियां केवल केन्द्रीय लोक प्रपाण पोर्टल के लिए ई-प्रपण वेबसाइट https:// eprocure.gov.in/ eprocure/ app पर प्रस्तुत की जाएगी । मैन्युअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाती है |

2. निविदाकर्ता / संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि ई- प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल https:// eprocure.gov.in/ eprocure/ app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता / संविदाकर्ता को अनुदेश में दी गई अनुदेशों का अनुपालन करें ।

3. निविदाकर्ता / संविदाकर्ता / फर्म द्वारा बोली दस्तावेज़ों को स्कैन कर https:// eprocure.gov.in/ eprocure/ app पर प्रस्तुत की जाएगी जो स्पष्ट रूप से पठनीय हो ।

4. **बोली के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया:**

4.1 निविदा के लिए एकल बोली प्रणाली का अनुपालन किया जाएगा । निविदा एकल भाग में या फोल्डर में प्रस्तुत की जाएगी ।

4.2 अपलोड / प्रस्तुत की जाने वाली बोली दस्तावेज़ों के सभी पृष्ठ, फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और मुहर भी लगाई जानी चाहिए ।

4.3 टेलीग्राम / फैक्स / ई-मेल तथा अन्य तरीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा । इस मुद्दे पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

4.4 **बोली में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :-**

(क) सचिव, सं. लो. से. आ., नई दिल्ली- 110069 के पक्ष में देय स्वीकार्य रूप में किसी वाणिज्यिक बैंक से अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / मियादी जमा रसीद / पे आर्डर / बैकर्स चेक के रूप में 10,200/- (दस हजार दो सौ रू मात्र) की जमा धरोहर राशि की स्कैन्ड प्रति शामिल की जानी चाहिए ।

(ख) मूल जमा धरोहर राशि (ई एम डी) बोली के खुलने की तारीख तथा समय या इससे पहले अवर सचिव (सा. IV) आयोग सचिवालय भवन, संघ लोक सेवा आयोग धौलपुर हाऊस शाहजहां रोड नई दिल्ली -110069 को ऑफ लाइन सुपुर्द की जानी चाहिए । ज.धरो. रा. पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता है या सं. लो. से. आ. के स्वागत कक्ष के गेट 'सी' पर डाला जा सकता है ।

(ग) सी पी पी पी वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाले सभी दस्तावेज़ों की प्रतियों हस्ताक्षरर्ता के विधिवत हस्ताक्षर तथा उस पर मुहर लगी होनी चाहिए

(घ) नि. आ. सू. दस्तावेज़ की स्कैन्ड प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरर्ता के विधिवत हस्ताक्षर तथा उस पर मुहर लगी होनी चाहिए ।

(ङ) टिन / बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र । यदि फर्म वैट / अन्य कोई कर / उपकर अदा कर रही है तो कर प्राधिकारी से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्कैन्ड प्रति भी अपलोड की जाए । यदि फर्म को सेवाकर / वैट/ कोई अन्य कर / उपकर को अदा करने से छूट प्राप्त है तो कर प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड की जाए ।

(च) पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति ।

(छ) धन और आयकर को न छिपाने के संदर्भ में प्रमाण -पत्र की स्कैन्ड प्रति । कृपया 'अनुबंध-घ' का संदर्भ लें ।

(ज) इस निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तें फर्म को स्वीकार्य है की घोषणा का परिवचन की स्कैन्ड प्रति जो प्राधिकृत हस्ताक्षरर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर तथा मुहर लगी होनी चाहिए। कृपया अनुबंध 'क' का संदर्भ लें ।

(झ) वरीयत: वित्तीय वर्ष 2015-2016 की फर्म की अद्यतन आयकर विवरणी की स्कैन्ड प्रतियां ।

(ञ) परिवचन जिसमें यह धोषण की गई हो कि सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित डिजिटल डुप्लीकेटर्स/ प्रिंटर्स के रखरखाव के लिए उद्धृत दरें उसी प्रकार के सेवाओं के लिए विद्यमान दर से अधिक नहीं है, की स्कैन्ड प्रति । परिवचन अनुबंध-घ में दी गई निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(ट) अनुबंध-क में दी गई विधिवत भरी हुई निविदा प्रपत्र की स्कैन्ड प्रति ।

(ठ) परिवचन सहित फर्म का विवरण वरीयता फर्म के पत्र शीर्ष पर जिसमें यह प्रमाणित हो कि फर्म को किसी सरकारी प्रतिष्ठानों/ एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं डाला गाया है और न ही फर्म के विरूद्ध भारत में किसी स्थान में या उनके मालिक / साझेदार के विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है की स्कैन्ड प्रति (अनुबंध-ख) ।

(ड.) यदि ज. ध.रा. के छूट का दावा करते है तो केन्द्रीय क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (रा.ल.उ.नि.)या कोई अन्य संबंधित मंत्रालय या विभाग से प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति ।

5. **<u>बोलियों का मूल्यांकन :</u>**

5.1 बोली का मूल्यांकन इस नि.आ.सू. के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज़ों के आधार पर इस कार्यालय के बोली मूल्यांकन समिति (बो. मू. स.) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा । बोली की स्वीकार्यता के संबंध में सक्ष्म प्राधिकारी का निर्णय सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

5.2 फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए बोली का मूल्यांकन प्रत्येक डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए अलग-अलग किया जाएगा ।

5.3 वैट / सेवाकर / कोई अन्य कर / उपकर को मूल्य अनुसूची में अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए । बोली का वित्तीय मूल्यांकन सभी करों रहित किया जाएगा । इस मुददे पर संबंधित फर्म से कोई पत्राचार नहीं जाएगा ।

5.4 फर्म/ वेंडर / संविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली स्वीकार्यता के लिए बोली को खुलने की तारीख से 06 (छह) माह की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

<u>संविदा प्रदान करना</u>

6. एकल डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा उस बोलीदाता को प्रदान की जाएगी जिन्होंने न्यूनतम दर (एल-1 बोलीदाता) उद्धृत की है जिसमें उस विशेष डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के अनुरक्षण के लिए उद्धृत दर कर रहित हो ।

7. **<u>जमा धरोहर राशि :</u>**

7.1 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली / नई दिल्ली-110069 के पक्ष में देय अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / पे आर्डर / फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट / के रूप में 10,200/- (दस हजार दो सौ रू. मात्र) की जमा धरोहर राशि प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसे सं. लो. से. आ. में बोली के खुलने की तारीख को या उससे पहले सुर्पुद किया जाना चाहिए। जमा धरोहर राशि के बिना अथवा अन्य किसी रूप में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उन फर्मों / बोलीदाताओं को जो विशेष मदों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय क्रय संगठन डी जी एस एंड डी / राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) या कोई अन्य संबंधित मंत्रालय या विभाग के पास पंजीकृत हैं को छोड़कर उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । <u>ऐसी बोलीदाताओं को छूट का दावा करने के लिए अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी अपेक्षित है अन्यथा कोई छूट नहीं दी जाएगी और बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।</u>

7.2 जमा धरोहर राशि बोली की वैधता अवधि से परे पैंतालीस दिनों की अवधि अर्थात बोली खोलने से परे 225 दिनों के लिए वैध रहेगी । कम वैधता अवधि सहित जमा धरोहर राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

7.3 यदि बोलीदाता अपनी निविदा की वैधता अवधि के भीतर किसी भी संबंध में अपनी निविदा को वापस लेता है या उसमें संशोधन करता है अथवा निविदा को नुकसान पहुंचाता है या उसकी प्रतिष्ठा के विरूद्ध कार्य करता है तो जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति को प्रस्तुत करने मे असफल रहते हैं तो उनकी जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

7.4 सभी असफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत जमा धरोहर राशि को संविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बिना किसी ब्याज के, चाहे जो कुछ हो, उन्हें लौटा दी जाएगी । सफल बोलीदाता (ओं) को जमा धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर लौटा दी जाएगी।

8. **निष्पादन प्रतिभूति:**

8.1 सफल बोलीदाताओं को पंजीकरण स्थिति आदि से असंबद्ध रहते हुए संविदा प्रदान करने के समय निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जो संविदा मूल्य का 7% नियत है जो किसी वाणिज्यक बैंक से स्वीकार्य रूप में अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / मियादी जमा रसीद जो सचिव, सं. लो. से. आ. नई दिल्ली-110069 के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा ।

8.2 निष्पादन प्रतिभूति आपूर्तिकर्ता की सभी संविदात्मक बाह्यताओं के पूरे होने से परे **60 दिनों** की अवधि के लिए वैध रहेगी ।

8.3 निष्पादन प्रतिभूति आपूर्तिकर्ता को बिना किसी ब्याज के चाहे जो भी हो, सभी संविदात्मक बाह्यताओं के विधिवत निष्पादित एवं पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जाएगी।

8.4 यदि फर्म संविदा के किसी निबंधन एवं शर्तों को निष्पादित करने में असफल रहती है तो निष्पादित प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी । इसके अलावा इसे काली सूची में भी डाला जा सकता है ।

9. **भुगतान:**

फर्म को भुगतान नि. आ. सू. में वर्णित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्य के संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर तिमाही आधार पर किया जाएगा ।

10. **अनिवार्य बाह्यता:**

फर्म अपने नियंत्रण से परे कारणों से निष्पादन में विफल रहने जिसमें दैवीय घटना, युद्ध, दंगा, बाढ़, तालाबंदी, गतिरोध, किसी सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई, लाइसेन्स प्राप्त करने में विलम्ब अथवा संविधि के अंतर्गत आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने, फर्म की किसी विद्‌युत विफलता की दुर्घटना या व्यवधान या प्रचालन शामिल है, पर उत्तरदायी नहीं ठहराई जाएगी ।

11. **जोखिम क्रय खंड**

यदि फर्म, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् संविदा प्रदान करने वाली पत्र / कार्य आदेश जारी किए जाने के बाद बोली दस्तावेज़ों / नि.आ.सू. की निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहती है और/ अथवा नियत कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहती है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करती है तब सं.लो.से.आ. के पास जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और परिणाम पर अन्य फर्म द्वारा कार्य कराने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म की बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों और सीमा शुल्क, कर, मालभाड़ा और बीमा आदि के साथ फर्म से की जाएगी । यदि वैकल्पिक व्यवस्था के जारिए सामग्री / सेवाओं की लागत कम हो तब इस मुद्दे पर कोई लाभ चूककर्ता फर्म को नहीं दिया जाएगा ।

12. **आयकर :**

आयकर यथा लागू आपूर्तिकर्ता के बिल से स्त्रोत पर वसूली योग्य ।

13. **सर्वर क्षमता:**

किसी कारण से कार्य आदेश / संविदा / नि. आ. सू. के किसी भी प्रावधान को अमान्य, लागू न होना या अवैधनिक माना जाता है तो कार्य आदेश / संविदा / नि.आ.सू. को पूर्ण रूप से लागू माना जाएगा इसके अलावा अन्यथा इन प्रावधान (नों) को हटाया हुआ माना जाएगा ।

14. **परिवर्तन / आशोधन:**

कार्य आदेश के संबंध में किसी भी परिवर्तन या आशोधन या इसे हटाना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक दोनो पक्षों द्वारा इसे लिखित में तथा उस पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

15. **विवाद समाधान:**

पार्टियों के बीच कार्य आदेश / संविदा / नि.आ.सू. के संबंध में या उससे बाहर या इनसे संबंधित या भंग, समप्ति, प्रभाव, वैधता, निर्वचन या कार्य आदेश / संविदा / नि.आ.सू. के अनुप्रयोग या इनके अंतर्गत आने वाले उनके अधिकार, कर्तव्य या दायित्वों से उत्पन्न होने वाले किसी, अंतर, विरोधावास या दावों ("विवाद")का निपटान प्रार्टियों के प्राधिकृत अधिकारी द्‌वारा पारस्परिक समाधान के तहत किया जाएगा, यदि किसी कारणवश, पार्टियों के बीच ऐसे विवाद का सौहाद्रपूर्ण निपटान के लिए, उक्त को पूर्ण मध्यस्थता के लिए संघ लोक सेवा आयोग के सचिव या पूर्ण मध्यस्थता के रूप में नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजा जाएगा । मध्यस्थता प्रक्रिया में मध्यस्थता अधिनियम, 1996या उन पर बनाए गए पुन: अधिनियम पर सांविधिक आशोधन लागू होंगे । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

16 **संविदा की समाप्ति :**

सं. लो. से. आ. किसी अन्य उपाय के रूप में बिना किसी पूर्वाग्रह के, वेंडर / फर्म / संविदाकर्ता बिना किसी समुचित आधार के इस नि.आ.सू. के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लापरवाही असावधानी, अक्षमत, जालसाजी, अनिष्ट, दुरूपयोग या वेंडर / फर्म / संविदाकर्ता या उनके कर्मचारी या एजेंट द्‌वारा किए गए अन्य प्रकार के कदाचार किए जाने किए जाने की स्थिति में दोबारा अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल होने की स्थिति में वेंडर / फर्म / संविदाकर्ता को लिखित में नोटिस देकर संविदा / कार्य आदेश को पूर्ण रूप से या उसके भाग को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसे परिदृश्य में, सं.लो.से.आ. फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता की जमा धरोहर राशि, निष्पादन प्रतिभूति तथा बकाया भुगतान को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

17. बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तथा उसमें निर्धारित (बोली खोलने की तारीख से छः माह) बोली वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में बोली को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी । इस अवधि के दौरान वापस लेने का परिणाम ऐसे बोलीदाता की जमा धरोहर राशि की जब्ती होगी और सक्षम प्राधिकारी द्‌वारा यथा निर्णित विशिष्ट अवधि के लिए सं. लो. से. आ. की निविदाओं में भाग लेने से संबंधित फर्म / वेन्डर / संविदाकर्ता को भी विवर्जित किया जा सकता हे । इसके अतिरिक्त फर्म को डिलिस्ट किया जा सकता है और इसे काली सूची में डालने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

18. सं. लो. से. आ. किसी या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और निम्नतम बोली या किसी विशिष्ट बोली को स्वयं स्वीकार करने के लिए बाह्य नहीं है । इस संबंध में सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम तथा बाह्यकारी होगा ।

19. फर्म/ वेन्डर / संविदाकर्ता बोली के साथ बिल भुगतान, जारी की गई जमा धरोहर राशि तथा निष्पादन प्रतिभूति तथा बैंक विवरणी की स्कैन्ड प्रति संलग्न करें ।

20. **<u>विवर्जन एवं डिलिस्टंग</u>**

यदि फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता अपने दायित्वों के निष्पादन में बार- बार असफल होते है और कार्य आदेश / संविदा के बिना किसी समुचित आधार के या कार्य आदेश / संविदा / नि.आ.सू. के निबंधन एवं शार्तों को भंग करने में दोषी पाया जाता है, फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता या उनके स्टाफ या एजेन्ट द्वारा लापरवाही असावधानी अक्षमता, कपट, शरारत और दुविर्नियोजन या किसी अन्य प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाते है तो सं. लो. से. आ. समुचित अवधि के लिए फर्म / वेंडर / संविदाकर्ता को लिखित में नोटिस देकर फर्म/ वेंडर / संविदाकर्ता को विवर्जित कर सकता हे । इसके अतिरिक्त ऐसे फर्म/ वेन्डर / संविदाकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई कर सकता है जिसमें फर्म/ वेन्डर / संविदाकर्ता को डिलिंस्टग एवं काली सूची में डाल सकता है ।

21. विशिष्ट बोली खोलने की तारीख एवं समय के बाद प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

22. **<u>कार्य क्षेत्र</u>**

22.1 आयोग में अधिष्ठापित डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स का विवरण निम्नानुसार हें :-

डिजिटल प्रिंटर्स की बनावट / मॉडल	अधिष्ठापित मशीनों की सं	अधिष्ठापान का वर्ष	अवधि के लिए वा. अनु. सं.
गेस्टेटनर - 5305	02	अप्रैल, 1993	प्रत्येक मशीन की वा.अनु. संविदा संविदा में प्रविष्टि की तारीख से या आदेश में यथानिर्दिष्ट तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी ।
रिसो आरजेड़ 2000 ए जी	01	फरवरी, 2006	
रिसो ई जेड़ 221 ए	01	मई, 2014	

22.2 डिजिटल मशीन का प्रयोग कर प्रत्येक वर्ष आयोग में लगभग 19.5 लाख प्रतियां मुद्रित की जाती है जिनका वर्णन इस नि.आ.सू. के खंड 22.1 की तालिका में दिया गया है ।

22.3 वार्षिक अनुरक्षण संविदा में भाग लेने वाले फर्म की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होगीं:-

22.3.1 वार्षिक अनुरक्षण संविदा अवधि के दौरान डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स अच्छी कार्य करने की दशा में हो को सुनिश्चित करनी होगी । डिजिटल मशीनों का निरीक्षण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर किया जाएगा ।

22.3.2 आवधिक निवारक अनुरक्षण कम से कम 15 दिनों में एक बार निष्पादित की जानी है और की गई शिकायतों को शिकायत किए जाने के 24 घंटे के अन्दर तात्कालिक आधार पर निपटान किया जाना हे ताकि मशीन अच्छी कार्यरत स्थिति में रहें । 24 घंटे (अवकाश को छोड़कर) से अधिक की देरी के मामले में प्रत्येक दिन की देरी के लिए तिमाही बिल से 1% की शास्ति अधिरोपित की जाएगी जो अधिकतम 10% के अध्यधीन होगी । ऐसी शिकायतों को एटेंड करने में 12 दिनों से अधिक की देरी के लिए जमा धरोहर राशि और या निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने सहित संविदा की समाप्ति की कार्रवाई कर सकता है और संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कार्रवाई की जा सकती है ।

22.3.3 जब और जहां आवश्यक हो बिना किसी अतिरिक्त लागत के थर्मल हैड, स्कैनर तथा ड्रम तथा इसकी सहायक सामग्रियों को छोड़कर सभी दोषपूर्ण पार्टस को असली नये पार्टस से बदलना होगा ।

22.3.4 मास्टर रोल को छोड़कर असली स्याही तथा अन्य उपभोज्य की आपूर्ति बिना किसी लागत के करनी होगी ।

22.3.5 इस निविदा आमंत्रण सूचना के खंड 22.3.3 तथा 22.3.4 के अनुसार स्याही सहित (मास्टर रोल को छोड़कर) तथा स्पेयर पार्टस (थर्मल हैड, स्कैनर तथा ड्रम एवं उसकी सहायक सामग्रियों को छोड़कर) किसी उपभोज्य पर किसी प्रकार का वैट / सेवाकर / कोई अन्य कर / उपकर अदा नही की जाएगी जैसाकि इन्हें बिना किसी लागत के (वैट/ सेवाकर / कोई अन्य कर / उपकर सहित) प्रदान किया जाना है ।

22.4 प्रत्येक मशीन के संबंध में वार्षिक अनुरक्षण संविदा, संविदा में प्रविष्टि की तारीख से और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित दर पर एक वर्ष के लिए वैध रहेगी जैसाकि कार्य आदेश / प्रदत्त संविदा पत्र (निविदा को अंतिम रूप दिए जाने पर सफल फर्म (फर्मों) को भेजा जाना है) में निर्दिष्ट किया गया है । संघ लोक सेवा आयोग अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर पारस्परिक सहमति के आधार पर उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर वार्षिक अनुरक्षण संविदा को आगे बढ़ा सकता है ।

22.5 आपातकालीन स्थिति में बोलीदाता / वेंडर / फर्म / संविदाकर्ता को ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जब और जहां अपेक्षित हो (अवकाश / शनिवार / रविवार सहित) अल्प अवधि में अनुरक्षण सेवाएं तथा उपभोज्य सामग्री मुहैय्या करा सके ।

22.6 तात्कालिक स्थिति के लिए सफल बोलीदाता / फर्म को कार्यरत मोबाईल नं. तथा फर्म की कार्यालय का टेलीफोन नं. या अपना वैयक्तिगत टेलीफोन नं. मुहैय्या कराना होगा।

23. काल्पनिक तथा सशर्त बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है ।

24. संघ लोक सेवा आयोग में अधिष्ठापित डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स का निरीक्षण फर्म/ वेंडर / संविदाकर्ता किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाह्न से लेकर 5.00 बजे अपराह्न तक कर सकते है । किसी भी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए आप किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न के बीच दूरभाष सं. 23381388 पर सामान्य- IV अनुभाग,संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते है ।

(सी. एम. कैथ)
अवर सचिव (सामान्य-IV)
संघ लोक सेवा आयोग
(011-23388418)

अनुबंध-क

संं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा में प्रविष्टि हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

दिनांक : ....

सेवा में

श्री सी. एम. कैथ
अवर सचिव (सामान्य- IV)
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110069

सन्दर्भ: कृपया आपके फा. सं. डी 19016/2/2016-सा. IV से संबंधित निविदा सं. सं. लो. से. आ./ 14/ 2016-सा.IV का संदर्भ लें ।

हम, अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त निविदा पूछ-ताछ दस्तावेज़ / निविदा आमंत्रण सूचना की जांच की है और डिजिटल प्रिंटर्स / मशीन को देखा है । अब हम डिजिटल डुप्लीकेटर्स/ प्रिंटर्स प्रत्येक के सामने दर्शाई गई दरों पर अनुरक्षण हेतु सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करते है :-

मूल्य अनुसूची

क्रम सं.	डिजिटल डुप्लीकेटर्स/ प्रिंटर्स	मुद्रित प्रति कापी दर (रू. में)	वैट, सेवाकर सहित सभी कर आदि (%में)	वैट, सेवाकर, सभी कर आदि सहित प्रति कापी दर	प्रस्तावित बट्टा यदि कोई हो
1.	गेस्टेटनर - 5305				
2.	रिसो आर जेड़ 2000 ए जी				
3.	रिसो ई जेड़ 221ए				
4.	अभ्युक्तियां				

* फर्म को करो में उर्ध्वमुखी / अधोमुखी दावा करने के संबंध में संगत सरकारी आदेश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

2. यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो हम उपरोक्त निविदा जांच / निविदा आमंत्रण सूचना (निविदा सं. सं.लो. से.आ./14/2016- सा.IV, फा.सं. डी-19016/2/2016-सा. IV) के अनुसार सेवाए प्रदान करने का वचन देते है ।

3. हम हमारी बोली को निविदा खोलने से छः माह की अवधि की स्वीकृति के लिए वैध रहने पर सहमत हें । तदनुसार हम उपर्युक्त अवधि तक इस बोली से बंधे रहने की भी पुष्टि करते हैं और यह बोली की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार की जा सकती है । हम आगे इस बात की बात की पुष्टि करते है कि उपर्युक्त अवधि के भीतर आपकी लिखित स्वीकृत के साथ पठित यह बोली हमारे बीच बंधकारी संविदा गठित करेगी ।

4. हम आगे यह समझते है कि आप निम्नतम या कोई बोली जो आपकी ऊपर संदर्भित निविदा पूछताछ / निविदा आमंत्रण सूचना के विरूद्ध प्राप्त करते है, स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं ।

5. हम उपर्युक्त निविदा जांच के सभी निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हैं ।

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

--- के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

(फर्म की कार्यालय मुहर)

टिप्पणी : (क) फर्म की कार्यालय मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर इस निविदा फार्म / बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर किए जाने है ।

(ख) ओवर राइटिंग, यदि कोई हो, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

अनुबंध-ख

संं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए निविदा (फा सं. डी-19016/2/2016-सा.IV, निविदा सं. सं.लो.से.आ./14/2016-सा. IV)

फर्म का विवरण

(वरीयत: फर्म के लैटर हैड पर)

1. फर्म का नाम: --

2. कार्यालय का पता: --

3. दूरभाष सं. : --

4. फैक्स सं.:---

5. फर्म के निदेशक / साझेदार / मालिक का विवरण :
   नाम :
   आवासीय पता (पते) :
   मोबाइल सं. :
6. बिक्री कर पंजीकरण सं. / टी आई एन : ------------------------------------
   (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए)
7. फर्म / मालिक का स्थायी खाता सं.: ----------------------------------
8. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म को किसी सरकारी प्रतिष्ठान / अभिकरण द्वारा न तो काली सूची मे डाला गया है न ही उक्त फर्म अथवा इसके मालिक / साझेदारों के विरूद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है ।

(दिनांक सहित हस्ताक्षर)

(नाम और पदनाम)

---------------------------------------के लिए और की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत

(फर्म की कार्यालय मुहर)

<u>अनुबंध-ग</u>

<u>सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए निविदा</u>

<u>परिवचन</u>

हम..

....

....

(फर्म का नाम तथा पता) संघ लोक सेवा आयोग के निविदा आमंत्रण सूचना निविदा सं. सं.लो.से.आ./14/2016-सा.IV, फा.सं. डी-19016/2/2016-सा.IV के प्रत्युत्तर में निम्नानुसार सत्यापित करते है:

"हम लोगो के द्वारा सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए उद्धृत की गई दर उसी प्रकार के कार्य के लिए अन्य मंत्रालयों/ सरकारी संगठनों के लिए उद्धृत की गई दरों से अधिक नहीं है" ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड की मोहर सहित फर्म /
बोलीदाता का नाम तथा पता

अनुबंध-घ

सं. लो. से. आ. में अधिष्ठापित 04 डिजिटल डुप्लीकेटर्स / प्रिंटर्स के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा के लिए निविदा

आय/ धन को न छिपाने के संदर्भ में प्रमाण-पत्र

हम..

....

....

(फर्म का नाम तथा पता) संघ लोक सेवा आयोग के निविदा आमंत्रण सूचना निविदा सं. सं.लो.से.आ./14/2016-सा.IV,फा सं. डी-19016/2/2016-सा.IV के प्रत्युत्तर में निम्नानुसार सत्यापित करते है:

"हमलोगो ने किसी प्रकार के आय / धन चाहे जो भी हो को नहीं छिपाया है "

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
रबड की मोहर सहित फर्म /
बोलीदाता का नाम तथा पता

<u>**अनुबंध-ड**</u>

<u>ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश</u>

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रति प्रस्तुत करना अपेक्षित है । नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है ।

सीपीपीपी पोर्टल पर ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी <u>https : // eprocure.gov.in / eprocure /app</u> से प्राप्त की जा सकती है ।

<u>**पंजीकरण:**</u>

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: <u>https://eprocure.gov.in/eprocure/app)</u> (सी पी पी पोर्टल) पर "ऑन लाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट" के लिंक पर क्लिक करके जो प्रभार रहित है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।

2. इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।

3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

4. इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने -अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सीफी / टी सी एस / एन काड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा ।

5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

6. बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से आना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन का पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

निविदा दस्तावेज़ की खोज:

1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, विभिन्न प्राचलों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन प्राचलों में निविदा आई डी, संगठन का नाम अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे । निविदा की उन्नत खोज के लिए एक और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज प्राचलों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए शामिल कर सकते है ।

2) अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा कार्यक्रम डाऊनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं । यह सी पी पी पेार्टल बोलीदाताओं को एस एम एस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी देने की क्षमता प्रदान प्रदान करेगा ।

3) बोली को प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते है ।

बोली को तैयार करना:

1) अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।

2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्जावेज़ों को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ अपेक्षित है । कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

3) बोलीदाता को अग्रिम में बोली दस्तावेज़ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी पी फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेज़ों श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।

4) उसी प्रकार के अपेक्षित मानक दस्तावेज़ों का अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है जो बोलीदाताओं को मुहैया कराई गई है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है । यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

<u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साईट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दे के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं ।

3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफ लाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण के विवरण को प्रविष्ट करना होगा ।

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए । मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक भेजी जानी चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोली को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक बी ओ क्यू फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उक्त को डाउन लोड करने और उसे सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाए । बोलीदाताओं को बी ओ क्यू फाइल डाउन लोड करना अपेक्षित है इसे खोले और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें । किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें । एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑन लाइन प्रस्तुत कर दें । यदि बी ओ क्यू फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाए जाते है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी ।

6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डेश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए ।

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है । इन्क्रिपशन प्रौद्योगिक के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है । संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है । कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है जो क्रर्मिक कुजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त यह कुंजी ऐसे मैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाले सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा के खोलने के बाद ही केवल पठनीय होगा ।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होगा ।

9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में “फ्रिज बिक सबमिशन” को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी ।

10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती के रूप में इसे रख लें । इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है ।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

1) निविदा दस्तावेज़ उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछ ताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।
2) ऑन लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछ ताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ ताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते है । हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 180030702232 है । बोलीदाता +917878007972 एवं + 91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं ।